भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3133

दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

आंध्र प्रदेश में पीएमकेएसवाई के तहत जल निकाय पुनरुद्धार परियोजनाएं

3133. डॉ. बायरेड्डी शबरीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2018-19 से आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) घटक के अंतर्गत पुनरुद्धार के लिए चयनित जल निकायों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में इस घटक के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी सहित वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई;

(ग) कुल स्वीकृत जल निकाय पुनर्स्थापन परियोजनाओं में से जिला-वार कितनी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा कितनी कार्यान्वयनाधीन हैं और कितनी लंबित हैं; और

(घ) क्या सरकार का इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निधि जारी करने में तेज़ी लाने और राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित या नए प्रस्तावों को स्वीकृति देने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): आंध्र प्रदेश में वर्ष 2018-19 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) घटक के अंतर्गत पुनर्स्थापना हेतु चयनित जल निकायों का जिला-वार ब्यौरा इस प्रकार है;

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	योजना/क्लस्टर का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अनुमानित लागत	देय केंद्रीय हिस्सा	जिले
1	100 आरआरआर	2018-19	66.77	40.06	प्रकासम
2	135 आरआरआर	2021-22	70.72	42.43	प्रकासम (22), अनंतपुर (33) और नेल्लोर (80)

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रकासम जिले में 100 जल निकायों के कार्यान्वयन में अब तक 29.71 करोड़ रुपए व्यय किया है। उक्त व्यय में भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जारी की गई 2.70 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता और 27.01 करोड़ रुपए राज्य का हिस्सा शामिल है। 100 निर्माण कार्यों में से, 97 कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से 36 निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष 61 कार्यान्वयन अधीन हैं।

प्रकासम, अनंतपुर और नेल्लोर जिलों में स्वीकृत किए गए 135 निर्माण कार्य आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं और इसलिए इन कार्यों के लिए कोई केंद्रीय सहायता जारी नहीं की गई है।

(घ): पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी योजना के जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार घटक के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता विद्यमान योजना दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की जाती है, जो निधियों की उपलब्धता, वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन पर निर्भर करता है। भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार सहित सभी राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से फॉलो-अप करती है, ताकि कार्यान्वयन में तेज़ी लाई जा सके और पहले जारी की गई केंद्रीय सहायता के संबंध में पूर्ण प्रस्ताव और उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत किया जा सकें, जिससे देय केंद्रीय हिस्सा समय पर जारी किया जा सके।

विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत, और क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग द्वारा अनुशंसित नए प्रस्तावों पर निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय संतुलन के अध्यधीन पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत स्वीकृति के लिए विचार किया जाता है।

*****